भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *549
02 अप्रैल, 2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना का कार्यान्वयन

†***549. श्री जी. सेल्वमः**
श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार तमिलनाडु में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता देने, मूल्य संवर्धन को मजबूत करने और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना' (पीएमएफएमई) को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में उक्त योजना के तहत स्वीकृत प्रस्तावों और लाभार्थियों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में इस योजना के तहत लाभार्थियों को जारी की गई कुल वित्तीय सहायता और शुरुआती (सीड) पूंजी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में रोजगार सृजन, क्षमता निर्माण और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण के संदर्भ में उक्त योजना के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में उक्त योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए क्लस्टर-आधारित विकास, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 02.04.2026 को उत्तर के लिए "पीएमएफएमई योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *549 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): जी, महोदय। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय **(**एमओएफपीआई**)** तमिलनाडु सहित देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/ उन्नयन के लिए वित्तीय**,** तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित "प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन **(**पीएमएफएमई**)** योजना" कार्यान्वित्त कर रहा है।

तमिलनाडु राज्य के लिए**,** दिनांक 31 दिसंबर**,** 2025 तक**,** क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक के अंतर्गत 17,869 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 16,668 (93%) पहली बार उद्यमी हैं। इसके अलावा, दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक 31,174 महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के लिए प्रारम्भिक पूंजी सहायता स्वीकृत की गई है।

(ख) और (ग): तमिलनाडु राज्य के लिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान 14,970 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और 23,475 एसएचजी सदस्यों के लिए प्रारम्भिक पूंजी सहायता के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किए गए हैं। जिलावार विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है।

योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य को 196.02 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी / आवंटित किया गया हैं। वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
केंद्रीय हिस्सा(रु. करोड़ में)	24.02	72.00	100.00

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश भर में पीएमएफएमई योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए इस योजना का एक तृतीय-पक्ष मध्यावधि प्रभाव मूल्यांकन किया है। अध्ययन से पता चलता है कि इस योजना ने रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें वर्षों के दौरान सृजित नौकरियों में लगातार वृद्धि हुई है। दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक इस योजना ने 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता की है। मूल्यांकन से यह भी पता चलता है कि इस योजना ने असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के औपचारिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 59,202 उद्यमों को औपचारिक ढांचे में लाया गया है, जिनमें से 8,350 उद्यमों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और उद्यम जैसे पंजीकरणों के माध्यम से तमिलनाडु राज्य में औपचारिकीकरण किया गया है।

क्षमता निर्माण के संदर्भ में, योजना लाभार्थियों के तकनीकी, प्रबंधकीय और उद्यमशीलता कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है। ये प्रशिक्षण आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण पद्धतियों, खाद्य सुरक्षा मानकों और व्यवसाय प्रबंधन कौशल को अपनाने में सहायता करते हैं, जिससे सूक्ष्म उद्यमों की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है।

(ङ). यह योजना मुख्य रूप से जिला-विशिष्ट उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके क्लस्टर आधारित विकास की सहायता करने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाती है, जिससे अधिक लाभ प्राप्त करना संभव होता है और स्थानीय मूल्य श्रृंखला मजबूत होती है। तमिलनाडु राज्य के लिए, राज्य के कुल 38 में से 37 जिलों के लिए ओडीओपी को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, योजना लाभार्थियों को अपने उत्पादों की दृश्यता और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बाजार पहुंच के लिए ब्रांडिंग और विपणन सहायता प्रदान करती है। यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खुदरा श्रृंखलाओं के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 14 नवंबर, 2024 को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

(जीईएम) पोर्टल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है। तमिलनाडु राज्य के लिए, "पुदुगाई ऑर्गेनिक्स" ब्रांड के अंतर्गत 1 ब्रांडिंग और विपणन प्रस्ताव को 31 दिसंबर 2025 तक मंजूरी दी गई है।

हितधारकों और सामान्य जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय योजना की शुरुआत से ही विभिन्न मंचों जैसे समाचार पत्र विज्ञापनों, रेडियो जिंगल्स, प्रदर्शनियों और एक्सपो, मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जागरूकता अभियान चला रहा है। मंत्रालय अपने प्रमुख कार्यक्रम 'वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई)' का विभिन्न संस्करणों में आयोजन कर रहा है, जिसमें तमिलनाडु सहित देश के बड़ी संख्या में पीएमएफएमई लाभार्थियों ने भाग लिया है और पीएमएफएमई मंडप और राज्य मंडपों के अंतर्गत स्टालों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों को स्टॉल मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। डब्ल्यूएफआई पीएमएफएमई लाभार्थियों को बड़ी संख्या में आने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के सामने अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

अनुबंध

दिनांक 02.04.2026 को उत्तर के लिए "पीएमएफएमई योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *549 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

तमिलनाडु राज्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और प्रारम्भिक पूंजी सहायता के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों का जिला-वार विवरण

क्र.सं.	जिला	2022-2023		2023-2024		2024-2025	
		स्वीकृत ऋणों की संख्या	प्रारंभिक पूंजी	स्वीकृत ऋणों की संख्या	प्रारंभिक पूंजी	स्वीकृत ऋणों की संख्या	प्रारंभिक पूंजी
1	अरियालुर	89	61	55	166	30	336
2	चेंगलपट्टू	93	62	153	108	85	123
3	चेन्नई	46	75	813	333	235	111
4	कोयम्बटूर	101	55	149	313	113	68
5	कुड्डालोर	132	201	411	185	347	275
6	धर्मपुरी	89	70	217	145	96	145
7	डिंडीगुल	147	128	172	257	79	451
8	इरोड	102	111	178	203	109	563
9	कल्लाकुरिची	66	82	141	90	48	90
10	कांचीपुरम	100	150	146	299	73	201
11	कन्याकुमारी	63	403	255	227	76	287
12	करूर	83	87	154	211	94	382
13	कृष्णागिरी	102	35	126	134	37	173
14	मदुरई	180	172	404	436	149	328
15	मईलादुथुरई	47	30	217	19	73	24
16	नागपट्टिनम	84	319	115	241	51	238
17	नमक्कल	99	163	177	342	98	82
18	पेरम्बलूर	89	149	48	63	16	162
19	पुडुक्कोट्टई	66	133	158	787	68	71
20	रामनाथपुरम	58	31	200	232	77	228
21	रानीपेट	101	9	90	17	62	164
22	सलेम	141	284	256	826	118	450
23	शिवगंगा	53	92	105	224	71	266
24	तेनकासी	95	64	273	180	164	147
25	तंजावुर	61	40	222	501	89	428
26	नीलगिरि	57	51	50	73	20	64
27	थेनी	70	114	130	216	62	275
28	थिरूवल्लूर	144	95	274	481	203	121
29	थिरूवरुर	115	80	107	332	47	303
30	तिरुचिरापल्ली	119	22	136	489	84	125
31	तिरुनेलवेली	107	55	247	389	110	237
32	तिरूपपुर	148	46	75	118	23	126
33	तिरूपुर	121	24	186	262	93	231
34	तिरुवन्नामलाई	176	31	221	429	90	491
35	तूतीकोरिन	101	39	483	95	167	61
36	वेल्लोर	96	192	73	541	39	159
37	विल्लुपुरम	62	166	252	511	129	271
38	विरुधुनगर	114	185	197	235	62	402
सकल योग		**3717**	**4106**	**7666**	**10710**	**3587**	**8659**